हुक्म कार्यवाही मय इनीशियल जज

तारीख हुक्म	
20/1/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादी के बहस सुनी। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:51:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या: 180 / 2022

र्थीगण :—

1. उर्जा पुत्र उमेदा
   जाति जाट निवासी अणखिया तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. अजयकुमार पुत्र हेमाराम
2. ओमप्रकाश पुत्र गुलाराम
3. करनाराम पुत्र हेमाराम
4. खरता पुत्र केतूरा
5. गोमीदेवी पत्नी देराम
6. जोधाराम पुत्र चेनाराम
7. टिलाराम पुत्र हेमाराम
8. डालूराम पुत्र हेमाराम
9. तीजोदेवी पत्नी गुलाराम
10. पता पुत्र केतूरा
11. प्रेमकुमार पुत्र गुलाराम
12. पारूदेवी पत्नी हेमाराम
13. बस्ताराम पुत्र हेमाराम
14. बाबुलाल पुत्र देराम
15. रासाराम पुत्र चेनाराम
16. वनाराम पुत्र देराम
17. हिमता पुत्र केतूरा
    जाति मेघवाल निवासी अणखिया तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
18. तहसीलदार नौखड़ा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी**

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 20.12.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से ... मौजा अणखिया के खेत खसरा नम्बर 436 / 3 रकबा 6.7016 हेक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:31:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद सर हद मौजा अणखिया के खेत खसरा नम्बर 436/3 रकबा 6.7016 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20/12/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:51:53 IST
Reason: SelfAttested